

*[Handwritten signature]*

अज अदालत

Form No-|||

फर्ट अहकाम (नियम 26)

जमावत का कैंप अवधि-2021  
रायसिंहनगर  
कैंप कोर्ट रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

सतोष डेवी 19.11.2021 बनाम

सरकार

किसा मुकदमा 136 एल आर एक्ट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 /

नाम्बर 247 सन् 2021

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए |
|------------|--|--|
| 29/10/21   | <p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>मुकल्लद</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/462 दिनांक <u>29/10/21</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैंप कोर्ट ग्राम पंचायत <u>मादराफ</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>85AD</u> की जमाबंदी सम्बत् <u>2025 से 2028</u> के खाता सं. <u>110</u> में <u>सतोष डेवी पुत्र मादराफ डेवी</u> के स्थान पर <u>सतोष डेवी पुत्री</u> <u>मादराफ</u> की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैंप कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>मुकल्लद</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक <u>85AD</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत् <u>2025 से 2028</u> के खाता सं. <u>110</u> में <u>सतोष डेवी पुत्र मादराफ डेवी</u> के स्थान पर <u>सतोष डेवी पुत्री मादराफ डेवी</u> की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p> |  |

(अर्पिता सोनी)  
उप उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर  
कैंप- मादराफ

